प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस

शासकीय स्वशासी स्नातकोतर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

ACCREDITED BY NAAC "B" Dt. 17/05/2022

Ph.No.: 07162-236477
Ph.No.: 07162-351002
Mob. No.: 9425477966

E-Mail: hegpgchi@mp.gov.in
Website: -
https://pgcollegechhindwara.edu.in/

पत्र क्र./२८२३/ 2024
छिन्दवाड़ा, दिनांक

"बस सेवा हेतु विज्ञप्ति"

// तृतीय आमंत्रण //

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये निर्धारित रूट से लाने और छोड़ने हेतु एक शिक्षण संस्थान में प्रयुक्त होने वाली बस (50 सीटर) के लिये ट्रैवेल्स एजेंसी से निर्धारित प्रपत्र में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इस हेतु आवेदकों द्वारा निम्न प्रारूप एवं आवश्यक शर्तें, महाविद्यालय से कार्यालयीन समय पर तथा महाविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। भावपत्र दिनाँक **25.10.2024** तक कार्यालयीन समय में आवश्यक रूप से एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में महाविद्यालय में प्रस्तुत करें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। निविदा प्रस्तुतकर्ताओं की उपस्थिति में दोपहर 12 बजे, दिनांक **26.10.2024** को खोली जाएगी।

// प्रारूप //

क्र.	विवरण	विशिष्टीकरण	दर (रु. में)
01	शिक्षण संस्थान में प्रयुक्त होने वाली बस	1. 50 सीटर नॉन ए.सी. शिक्षण संस्थान में प्रयुक्त होने वाली बस 2. वाहन का पंजीकरण वर्ष/ मॉडल/ वाहन/ बीमा 3. वाहन जी.पी.एस. सिस्टम व CCTV युक्त होना चाहिए। 4. वाहन में कंडक्टर होना अनिवार्य है।	1.प्रति किलोमीटर की दर (ईंधन, चालक, परिचालक का वेतन, मरम्मत कार्य, GST तथा अन्य सम्बंधित सभी खर्चों सहित)

18.10.24

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस

शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

बस निविदा की शर्तें निम्नलिखित हैं :

1. महाविद्यालय आवश्यकतानुसार प्रति शैक्षणिक दिवस महाविद्यालय द्वारा निर्धारित चक्र एवं रूट के अनुसार बस का संचालन किया जाएगा । समय चक्र एवं रूट आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय होगा । आवेदन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए रहेगा ।

2. बस का उपयोग अनुबंध अवधि में इस महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों एवं स्टाफ़ के द्वारा ही किया जाएगा ।

3. अनुबंध अवधि के भीतर बस का अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जायेगा एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टाफ के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बैठाने की अनुमति नहीं होगी ।

4. शासकीय अवकाश और रविवार के दिन बस का संचालन नहीं होगा, किन्तु प्राचार्य के आदेशानुसार बस का उपयोग अवकाश के दिन भी किया जा सकता है, जो कि भुगतान योग्य होगा ।

5. बस का प्रति किलोमीटर निर्धारित किराये के अतिरिक्त कोई भी भुगतान देय नहीं होगा ।

6. बस सेवा प्रदाता द्वारा म.प्र. मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य होगा । साथ ही वाहन सुरक्षा, वैध बीमा, वैध रुट परमिट, वैध फिटनेस, पी.यू.सी प्रमाण पत्र की प्रति प्रथम पक्ष के पास जमा करना होगा । ड्राइवर का कमर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है ।

7. कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पत्र क्र 2453//नीति/टी.सी/2024 ग्वालियर दिनांक 22/05/2024 में जारी गाइड लाइन के आवश्यकतानुसार बस का संचालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. बस के दोनों तरफ़ व सामने, महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त बैनर लगाना होगा ।

9. कंडक्टर की योग्यता 10 वीं पास या अधिक होना अनिवार्य है । कंडक्टर एवं ड्राइवर को निर्धारित प्रमाण पत्र/लायसेंस तथा यूनिफार्म में बस का संचालन करना होगा ।

10. विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु बस में अग्निशामक यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स होना अनिवार्य रहेगा ।

11. अनुबंध पश्चात आर.टी.ओ. से जारी नवीन रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

12. द्वितीय पक्ष द्वारा किराए हेतु प्रतिमाह देयकों की तीन प्रतियाँ उपलब्ध करायी जाएगी । वहाँ किराया राशि के भुगतान में यदि कोई विशेष स्थिति में विलंब होता है तो इसके लिए कोई ब्याज अथवा अन्य शुल्क का भुगतान नहीं देय होगा ।

18.10

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस

शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

13. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत देयकों में उपलब्ध कराए गए बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ़.एस.सी कोड पर बस के किराए का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा ।

14. बस सेवा प्रदाता को पेन कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी तथा आयकर नियमानुसार टी.डी.एस की कटौती मासिक भुगतान पर की जाएगी।

15. बस का नियमित रख रखाव एवं स्वच्छता का जिम्मा सेवा प्रदाता का होगा |

16. दोनों पक्षों द्वारा एक माह के पूर्व सूचना उपरांत अनुबंध समाप्ति किए जाने की प्रक्रिया की जा सकती है।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र छिन्दवाड़ा होगा।

18. बस में CCTV और GPS होना अनिवार्य रहेगा।

19. सेवा प्रदाता को GST रजिस्ट्रेशन तथा तीन महीनों का GST RETURN प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20. ड्राईवर एवं कंडक्टर का आधार कार्ड, फोटो और संपर्क जानकारी की प्रति अनुबंध के साथ जमा करनी होगी।

21. निविदा आवेदन के साथ सिक्योरिटी राशि 50,000 रूपए प्राचार्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस, शास. स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के नाम से जमा करना अनिवार्य रहेगा।

22. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत रेट तथा अन्य नियमावली से सम्बंधित दस्तावेज पृथक लिफ़ाफ़े में जमा किया जाए |

23. प्राचार्य के निर्देशानुसार बस सेवा अनुबंध को आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है |

24. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पर उक्त अनुबंध निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय के प्राचार्य को होगा।

25. बस के खराब होने की स्थिति में द्वितीय वाहन की व्यवस्था अनिवार्य है अन्यथा आर्थिक दंड निश्चित करते हुए वसूली की जाएगी |

26. निविदा खुलते समय अपने दस्तावेजों का सत्यापन मूल प्रति से आवश्यक रूप से करावें |

18.10

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

संलग्न किए जाने हेतु अनिवार्य दस्तावेजों की सूची :

लिफाफा 1 :

1. निविदा की धरोहर राशि हेतु प्राचार्य के नाम पर 50,000/- रुपए का डिमांड ड्राफ्ट।

2. वाहन के समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रति (RC, Insurance, PUC, Permit, Fitness Certificate, etc.)।

3. आपातकालीन व्यवस्था हेतु द्वितीय वाहन के लिए शपथ पत्र ।

4. GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व विगत तीन माह के GST रिटर्न जमा करने की रसीदें।

5. आवेदक के लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड की प्रति।

6. बस में CCTV व GPS होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ।

लिफाफा 2 :

1. बस संचालन किराया सूची प्रति किलो मीटर ।

--000000--

18.6

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

Scanned by CamScanner